बिहार सरकार

परिवहन विभाग

पत्र संख्या–03/योजना–14/2001 (पार्ट–1)

आदेश

परिवहन चेकपोस्ट, हाजीपुर (वैशाली) पर वाहना की जाँच/जप्ती/शमन एवं विमुक्ति आदि कार्य निरंतर (24 X 7) संचालित हैं परिवहन विभागीय आदेश ज्ञापांक–5863 दिनांक–19.11.2013 के कंडिका–9 एवं तत्संबंधी प्रदत्त पूर्व निदेश के माध्यम से अनुदेशित है कि चेकपोस्ट पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी नियमानुसार वाहनों की जप्ती विशिष्ट रूप से कर्णांकित निरंतर सीजर बुक (Running selzure Book) में तथा राशि का संग्रहण विशिष्ट रूप से कर्णांकित निरंतर मनी रसीद बुक (Running MR Book) में क्रमिक रूप से करेंगे एवं तद्नुसार वाहनों की विमुक्ति आदि कार्य करेंगे। संग्रहीत राशि को वे अविलम्ब जिला परिवहन कार्यालय, वैशाली (हाजीपुर) के अन्तर्गत जमा करेंगे।

दिनांक 08.12.2013 को परिसदन हाजीपुर (वैशाली) में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में हुये विमर्श एवं कार्य सुगमता के परिप्रेक्ष्य में उल्लिखित व्यवस्था के अतिरिक्त यह आदेश दिया जाता है कि श्री संजय कुमार, मोटरयान निरीक्षक, जमुई प्रति दिवस 10.00 बजे पूर्वाह्न से 05.00 बजे अपराह्न की अवधि में चेकपोस्ट कार्यालय, हाजीपुर में उपस्थित रहकर जप्त वाहनों से संबंधित जुर्माना अधिरोपण एवं विमुक्ति आदि कार्य करेंगे। उपर्युक्त पदाधिकारी की अनुपस्थिति में उक्त कार्य श्रीमती अर्चना कुमारी, मोटरयान निरीक्षक, वैशाली करेंगे। प्रभारी पदाधिकारी चेकपोस्ट हाजीपुर/जिला परिवहन पदाधिकारी, वैशाली इसका अनुश्रवण करेंगे।

यह आदेश तत्काल से प्रवृत्त होकर अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

(हस्ताक्षर) 11/12/13

प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 6395 पटना, दिनांक 11/12/2013

प्रतिलिपिः– श्री संजय कुमार, मोटरयान निरीक्षक, जमुई/श्रीमती अर्चना कुमारी, मोटरयान निरीक्षक, वैशाली को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रतिनियुक्त पदाधिकारीगण, परिवहन चेकपाकस्ट, हाजीपुर (वैशाली) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, परिवहन चेकपाकस्ट, हाजीपुर (वैशाली) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला परिवहन पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, वैशाली को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 11/12/13

प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।